भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1932

दिनांक 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन से आयातित वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

1932. श्री एम. के. राघवन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों, विशेषकर चीन से आयातित वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उनकी निगरानी किन-किन चरणों पर की जाती है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सरकार आयातित उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में समय-समय पर उपयुक्त उपाय करती है। सरकार ने घरेलू बाजार में अवमानक और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों की जॉच करने और उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण प्रोटोकॉल और अनिवार्य प्रमाणीकरण हेतु विभिन्न गुणवत्ता मानक और उपाय लागू किए है है। इस संबंध में भारत में अवमानक उत्पादों के आयात की जॉच करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ), जो भारतीय मानकों के अनुपालन को अनिवार्य बनाते है, को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले उत्पादों/वस्तुओं के लिए जारी किया जाता है।

***